उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरुप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून– 248001
फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com
website : http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board

कार्यालय पत्रांक : 914/933 UAWB (Poultry File)/ 2020-21 दिनांक : 20 जुलाई, 2020

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/
पदेन सदस्यसचिव, जिला एस०पी०सी०ए०, उत्तराखण्ड।

विषय : अण्डा उत्पादक कुक्कुट पक्षियों (Layers) के चूजा उत्पादकों (Hatcheries) द्वारा अवांछित नर चूजों को अवैध एवं क्रूर रीति से विनष्ट किये जाने के क्रम में।

महोदय,

PeTA (People for Ethical Treatment of Animals) द्वारा दिनांक 29 जून, 2020 एवं दिनांक 07 जुलाई, 2020 को ईमेल के माध्यम से प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, अण्डा उत्पादक कुक्कुट पक्षियों के चूजा उत्पादकों (Layer Chick Hatcheries) द्वारा लिंग विभेदन (Sex Sorting) किये जाने पर, बृहद स्तर पर अवांछित नर चूजों को अत्यन्त क्रूर एवं अवैध रीति से विनष्ट किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आवेदक पशुकल्याण संस्था द्वारा सात राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं केरल) की भांति, उत्तराखण्ड राज्य में भी दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि :–

1. केन्द्रीय अधिनियम The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के Section-11(1) के अनुरुप पशु/पक्षियों के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया जाना अवैध एवं दण्डनीय है।
2. मा० विधि आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2017 को कानून मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित रिपोर्ट संख्या 269 के Annexure-1 एवं Annexure-2 में, The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत अण्डा उत्पादक कुक्कुट पक्षियों तथा मांस उत्पादक कुक्कुट पक्षियों को अनावश्यक क्रूरता से बचाये जाने तथा आवासीय व्यवस्था एवं प्रबन्धन के क्रम में नियमावली का सृजन किये जाने की अनुशंसा की गई है।
3. मा० विधि आयोग की उक्त रिपोर्ट के Annexure-1 के अनुरुप प्रस्तावित नियमावली के नियम–16 में कुक्कुट चूजा उत्पादकों (Layer Chick Hatcheries) द्वारा, Sex Sorting किये जाने पर अवांछित नर चूजों को दयामृत्यु (Euthanasia) दिये जाने के क्रम में **कानूनी प्राविधान के सृजन की अनुशंसा (recommendation) की गई है।**
4. मा० विधि आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 335(E) के अनुरुप दिनांक 29 अप्रैल, 2019 द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों (Stakeholders) के सुलभ संदर्भ एवं अभिमत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये जाने हेतु The Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2019 का **आलेख (Draft Rules) प्रकाशित किया गया है (संलग्नक–1)।**
5. भारत सरकार द्वारा प्रकाशित Draft Rules के Rule-12 के अनुसार, कुक्कुट चूजा उत्पादकों (Layer Chick Hatcheries) द्वारा अवांछित नर चूजों को दयामृत्यु (Euthanasia) दिये जाने हेतु OIE Guidelines के अनुरुप प्रक्रिया अपनाये जाने का प्राविधान किया गया है।
6. OIE द्वारा प्रकाशित Terrestrial Animal Health Code-28/06/2019 के Chapter 7.6 : Killing of Animal for Disease Control Purpose के Article 7.6.1 : General Principles के बिन्दु–10 में

Scanned with CamScanner

मार्गदर्शन किया गया है कि, रोगी पशु–पक्षियों को दयामृत्यु (Euthanasia) दिये जाने सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों (General Principles) को अन्य उद्देश्यों यथा दैवीय आपदा अथवा अवांछित पशुओं के विनष्टीकरण हेतु भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

7. OIE Guidelines के Chapter 7.6 के Article : 7.6.14 में अवांछित कुक्कुट पक्षियों के विनष्टीकरण/ दयामृत्यु (Euthanasia) हेतु नाईट्रोजन अथवा Inert Gases के उपयोग के क्रम में अनुशंसा की गई है **(संलग्नक–2)**।

8. राज्यान्तर्गत कुक्कुट चूजा उत्पादकों (Layer Chick Hatcheries) द्वारा Sex Sorting किये जाने पर अवांछित नर चूजों को नवीन प्रस्तावित कानूनी प्राविधानों के अनुरुप दयामृत्यु (Euthanasia) दिये जाने की परम्परा को बढ़ावा दिये जाने एवं तद्सम्बन्धी जनजागरुकता (Public Awareness) हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

(डा० के०के० जोशी)
सचिव उ0प0का बोर्ड
निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. परियोजना निदेशक, पशुलोक ऋषिकेश।
5. संयुक्त निदेशक (कुक्कुट), पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य अधिशासी अधिकारी, People for Ethical Treatment of Animals

(डा० के०के० जोशी)
सचिव उ0प0का बोर्ड
निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून

Scanned with CamScanner